रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 1985 (भाद्रपद 30, 1907)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1985 (BHADRA 30, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	709
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	1163
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1303
भाग II—खंड I—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . .	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	31803
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . .	689
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	—
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1787
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस .	155
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	709
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1163
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1303
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	31803
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	689
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	1787
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	155
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folios Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 1985

सं० 93-प्रेज/85—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री द्विजेन्द्रनाथ, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला नागांव ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

23 फरवरी, 1983 को, श्री द्विजेन्द्रनाथ, पुलिस उप निरीक्षक प्रभारी, खटोवल पुलिस चौकी, जिला नागांव, ने गांव को टाइआनी की तरफ आकाश में फैला हुआ देखा भारी धुंआ और चीख-पुकार की आवाज भी सुनी । श्री द्विजेन्द्रनाथ चार सशस्त्र होम गार्डस सहित तुरन्त उस गांव में गए और वहां उन्होंने देखा कि एक समुदाय के लगभग दो हजार व्यक्तियों की हिंसक भीड़ दूसरे समुदाय के मकानों में आग लगा रही है । हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने और निर्दोष लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने की दृष्टि से श्री द्विजेन्द्रनाथ और उनके साथ होम गार्डस के कार्मिकों ने हिंसक भीड़ पर गोली चलानी शुरु कर दी । फिर भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई परन्तु अधिक संख्या में एकत्र हो गई तथा बेधड़क होकर पुलिस दल की ओर बढ़ी । श्री द्विजेन्द्रनाथ निर्भय होकर अपने स्थान पर डटे रहे और केवल चार होम गार्डस के कार्मिकों के साथ हिंसक भीड़ का सामना किया । उसी दौरान कुछ बदमाशों ने पीछे से उन पर भाले से आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई ।

इस घटना में श्री द्विजेन्द्रनाथ, पुलिस उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 फरवरी, 1983, से दिया जाएगा ।

सं० 94-प्रेज/85—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना बिहटा,
पटना ।

श्री राम आशीष रौत,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना बिहटा,
पटना ।

श्री उदय प्रकाश सिंह,
पुलिस सहायक उप निरीक्षक,
थाना बिहटा,
पटना ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

15 दिसम्बर, 1983, की रात्रि को, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पुलिस उप निरीक्षक ने अपने क्षेत्र के भगौड़ों को पकड़ने के लिए एक पुलिस दल का नेतृत्व किया जिसमें दो उप निरीक्षक, एक सहायक उप निरीक्षक और आठ व्यक्तियों का एक सशस्त्र दल था । जब पुलिस दल जिसमें श्री राम आशीष रौत, उप निरीक्षक और श्री उदय प्रकाश सिंह, सहायक उप निरीक्षक भी शामिल थे गांव बाहपुरा पहुंचा, तो उन्हें यह सूचना मिली कि कुख्यात और खतरनाक डाकू हरी राय के नेतृत्व में डाकुओं का गिरोह गांव मौला के ट्यूबवैल कैबिन के नजदीक इकट्ठा हुआ है और डकैती डालने की योजना बना रहा है । यह सूचना सहायता के लिए थाना मोनेर को भेज दी गई । श्री उदय प्रकाश सिंह ने कुछ ग्रामवासियों से सहायता ली जिनमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास एक बी० बी० एल० बन्दूक थी । रात्रि को गांव में पहुंचने पर उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी । चुनौती दिए जाने पर डाकुओं ने कैबिन पर मोर्चा संभाल लिया और कैबिन के उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व दो कोनों से पुलिस दल पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई । उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद सिंह एक ग्रामवासी के साथ अग्रिम मोर्चे पर थे । डाकुओं द्वारा गोली चलाये जाने पर ग्रामवासी को गम्भीर चोटें आईं और वह गिर गया । जब दो सिपाही अधिकारियों और जवानों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वे भी डाकुओं की गोलियों के शिकार हो गए । स्थिति को जटिल देखकर श्री सिंह ने वीरता से चुनौती का सामना करने और डाकुओं पर गोली चलाने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिया । डाकुओं द्वारा चलाई गई एक गोली श्री सिंह के माथे में लगी । इस पर पुलिस दल ने भारी गोली-बारी की और तीन डाकुओं को मार डाला । फिर भी अन्य डाकू अन्धेरे की आड़ में मोला गांव की ओर बढ़कर भाग गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उप निरीक्षक, श्री राम आशीष रौत, उप निरीक्षक, और श्री उदय प्रकाश सिंह, सहायक उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 दिसम्बर, 1983, से दिया जाएगा ।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप-सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1985

संकल्प

सं० फ० 4(1)/85-रा०भा०—विधायी विभाग के संकल्प स० एफ 4(1)/85-रा०भा० दिनांक 29 जुलाई, 1985 के अनुक्रम में भारत सरकार ने गैर-सरकारी सदस्य श्री एम० एल० द्विवेदी को विधि और न्याय मंत्रालय का 29 जुलाई, 1985 को पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए मनोनीत करने का विनिश्चय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाए :—

प्रधानमंत्री का कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संसदीय कार्य विभाग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/योजना आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली और भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

क० सुब्रह्मणियन, संयुक्त सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1985

सं० ए-11019(2)/83-प्रशा० III (वि०का०)—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 255 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए आय-कर अपील अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों में से प्रत्येक को इसके द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

1. श्री राजेन्द्र	—लेखा सदस्य
2. श्री बी० वी० वेंकटरामैया	—लेखा सदस्य
3. श्री टी०वी०के० नटराजचन्द्रन्	—लेखा सदस्य
4. श्री वी०पी० इलहान्या	—न्यायिक सदस्य
5. श्री राम रतन	—लेखा सदस्य
6. श्री उमा शंकर धूसिया	—न्यायिक सदस्य
7. श्री पी० एम० दिल्ली	—न्यायिक सदस्य

पी०के० कर्था, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 1985

सं० ए-12025(2)/82-प्रशा० III (वि०का०)—राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के विधि आयोग, नई दिल्ली में कनिष्ठ विधि अधिकारी श्री महेश प्रकाश को, उनके ही अनुरोध पर, उनके मूल विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल में जहां वे पहले सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में कार्यरत थे, 21 अगस्त, 1985 के अपराह्न से प्रत्यावर्तित करते हैं। तदनुसार उक्त तारीख से श्री महेश प्रकाश की सेवाएं मध्य प्रदेश शासन को सौंपी जाती हैं।

सी० बी० काइन, अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

लोक नायक भवन

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 अगस्त 1985

स० 13(10)/82-परि०प्र०—राष्ट्रपति जी ने, हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ई० टी० डी० सी०) के कार्य-संचालन का उत्तरदायित्व दिनांक 1 मई, 1985 से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के समग्रतः मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के (एस० टी० क्यू० सी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है। यह केन्द्र निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित उद्योग को परीक्षण सुविधाएं तथा तीसरे-सोपान की अंशांकन सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य उनके उत्पादों की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता का पर्याप्त रूप से इत्मीनान करना है। यह केन्द्र इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करेगा तथा इस पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा दिए गए ऐसे निर्देश/मार्ग-दर्शन और नियंत्रण लागू होंगे जो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

आई० के० राव, अवर सचिव

पेट्रोलियम मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1985

आदेश

विषय :—बी-52 संरचना क्षेत्र में 22.55 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ-12012/33/84-प्रोडेक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसे इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को बी-52 संरचना के अपतटीय क्षेत्र में 22.55 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1-10-84 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं। लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कंडेंसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा,

कंडेंसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा इसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धन-राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्न-लिखित दरों पर की जायेगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रुपए
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रुपए
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रुपए
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रुपए
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलसूटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथीमीट्रिक सतही नमूने, धारा और भूस्थकीय आकड़े सामान्य रूप से रक्षा मन्त्रालय/नौसेना मुख्यालय को निःशुल्क प्रस्तुत करने चाहिए।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

अनुसूची "क"

बी-52 संरचना का भूगोलिक समन्वय

बिन्दु	रेखांश	अक्षांश
क	72° 12″ 13.52″	18° 54″ 22.4″
ख	72° 13″ 43.94″	18° 55″ 12″
ग	72° 14″ 30.42″	18° 53″ 7.2″
घ	72° 11″ 5.7″	18° 50″ 40″

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केसिंग हैड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोय अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टनों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री————————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूप से सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर.......................

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम पर

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अगस्त 1985

सं० 14/11/83–समिति—जनसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि डॉ० अख्तर हुसैन, निदेशक, केंद्रीय औषधीय तथा सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ को प्रोफेसर बी० के० बछावत, निदेशक, भारतीय रसायन जैव-विज्ञान संस्थान, कलकत्ता के स्थान पर 1–9–1985 से 31–8–1987 तक के लिए जैव-विज्ञान समूह की समन्वय परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप, डा० अख्तर हुसैन उक्त अवधि के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा तथा सोसायटी के सदस्य रहेंगे और भारत के गजट के भाग–1, अनुभाग–1 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1/7/84–समिति दिनांक 20 मई, 1985 के क्रमांक 8 के अन्तर्गत पैरा–2 में उल्लेखित प्रोफेसर बी० के० बछावत के नाम और पदनाम के स्थान पर डॉ० अख्तर हुसैन, निदेशक, केंद्रीय औषधीय तथा सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ का नाम आएगा।

श्रीनिवासन वरदराजन, सचिव

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा महानिदेशक,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान,

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 9th September 1985

No. 93-Pres|85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Dwijendra Nath, (Posthumous)

Sub-Inspector of Police,
Nagaon District.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 23rd February, 1983, Shri Dwijendra Nath, Sub-Inspector of Police, Incharge Khatowal Police Post, District Nagaon, saw huge smoke spreading over the sky towards village Kotaioni and also heard shouting noises. Shri Dwijendra Nath alongwith four armed Home Guards personnel rushed to that vilage and found that violent mob numbering about two thousands of a community were involved in the act of setting fire to the houses of another community. With a view to dispersing the violent mob and to protect the lives and properties of innocent people, Shri Dwijendra Nath and the Home Guards personnel started firing at the violent mob. However, the mob did not disperse but swelled in numbers and made a desperate move towards the police party. Shri Dwijendra Nath stood to his ground fearlessly and faced the violent armed mob only with four Home Guards personnel. In the process he was speared from behindby some miscreants and as a result he met his tragic death on the spot.

In this incident, Shri Dwijendra Nath, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd February, 1983.

No. 94-Pres|85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Names and rank of the officers

Shri Rajendra Prasad Singh,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Bihta, Patna.

Shri Ram Ashish Raut,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Bihta, Patna.

Shri Udai Prakash Singh,
Assistant Sub-Inspector of Police,
Police Station Bihta, Patna.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of the 15th December, 1983, Shri Rajendra Prasad Singh, Sub-Inspector of Police, led a police party consisting of two Sub-Inspectors, one Assistant Sub-Inspector and an armed party of eight persons to nab absconders of his area. When the police party consisting of, among others, Shri Ram Ashish Raut, Sub-Inspector and Shri Udai Prakash Singh, Assistant Sub-Inspector, reached village Bahpura, information was received that a gang of desperadoes led by Hari Rai, a notorious and dreaded dacoit, had assembled near the tubewell cabin of village Maula and that they were planning to commit a dacoity. This information was passed on to Police Station, Maner, for assistance. Shri Udai Prakash Singh enlisted the support of some villagers including the one who had a DBBL gun. On reaching the village at night they heard murmuring sound. On being challenged, the dacoits took position at the cabin and opened indiscriminate firing at the police party from two corners-North-West and South-East of the cabin. Sub-Inspector Rajendra Prasad Singh was in the fore-front with a villager. The villager sustained severe injuries on account of the firing by the dacoits and he fell down. When the two unarmed officers and men tried to lift him up, they also fell victim of the pellets of the dacoits. Finding the situation difficult, Shri Singh ordered his officers to face the challenge boldly and to open fire on the dacoits. A pellet fired by the dacoits hit Shri Singh on the fore-head. Undaunted by this, the police party resorted to heavy firing and shot dead three dacoits. The other dacoits, however, escaped towards Moula village under the cover of darkness.

In this encounter, Shri Rajendra Prasad Singh, Sub-Inspector, Shri Ram Ashish Raut, Sub-Inspector and Shri Udai Prakash Singh, Assistant Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th December, 1983.

S. NILAKANTAN
Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

New Delhi, the 21st August 1985

RESOLUTION

No. F.4(1)/85-OL.—In continuation of the Legislative Department Resolution No. F.4(1)/85-OL., dated the 29th July, 1985, the Government of India have decided to nominated Shri M. I. Dwivedi as non-official member to serve the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Law and Justice since reconstituted.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to :—

Prime Minister's Office/Cabinet Secretariat/Department of Parliamentary Affairs/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Planning Commission/President's Secretariat/Director of Audit, Central Revenues, New Delhi and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. SUBRAMANIAN
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 6th August 1985

No. A-11019(2)/83-Admn.III(LA).—In pursuance of sub-section (3) of section 255 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorise each of the following members of the Income-tax Appellate Tribunal for the purpose of the said sub-section, namely :—

1. Shri Rajendra—Accountant Member
2. Shri B. V. Venkataramaiah—Accountant Member
3. Shri T. V. K. Natarajachandran—Accountant Member
4. Shri V. P. Elhance—Judicial Member
5. Shri Ram Rattan—Accountant Member
6. Shri Uma Shankar Dhusia—Judicial Member
7. Shri P. S. Dhillon—Judicial Member.

P. K. KARTHA, Addl. Secy.

New Delhi, the 20th August 1985

No. A-12025(2)/82-Admn.III(LA).—The President is pleased to repatriate at his own request Shri Mahesh Parkash Junior Law Officer, Law Commission Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice New Delhi, to his parent Department of Madhya Pradesh Bhopal, where he was earlier working as Civil Judge-cum-Judicial Magistrate Is Class, with effect from the afternoon of the 21st August, 1985. Accordingly Shri Mahesh Parkash's services are placed at the disposal of the Government of Madhya Pardesh with effect from the said date.

C. B. KAIEN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi-110 003, the 23rd August 1985

No. 13(10)/82-PM.—The President is pleased to bring the operation of the Electronics Test and Development Centre (ETDC), Hyderabad under the overall Standardisation, Testing and Quality Control (STQC) Programme of the Department of Electronics (DOE) with effect from 1-5-1985. This Centre will provide testing facilities and third-echelon calibration to industry located in the adjoining regions in order to ensure adequate quality and reliability of their products. It will function as a subordinate office of the Department of Electronics subject to such directions/guidance as may be given and such controls as may be exercised from time to time by the Department of Electronics.

I. K. RAO, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 26th August 1985

ORDER

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence for B-52 structure Offshore area measuring 22.55 sq. Kms. to ONGC.

No. O-12012/33/84-Prodn.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four year from 1-10-84 for B-52 structure (BOP) area measuring 22.55 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61|- per metric tonne or such rates as may be fixed by tht Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000|- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square Kilometre or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4|- for the first year of the licence;
(ii) Rs. 20|- for the second year of the licence;
(iii) Rs. 100|- for the third year of the licence;
(iv) Rs. 200|- for the fourth year of the licence;
(v) Rs. 300|- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and|or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and| or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling|exploration operations|survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner free of cost.

(m) The ONSC ensures the security of oceanographic data.

SCHEDULE 'A'

Geographical Co-ordinates of B-52 Structure.

Point	LONG	LAT
'A'	72° 12′ 13.52″	18° 54′ 22.4″
'B'	72° 13′ 43.94″	18° 55′ 12″
'C'	72° 14′ 30·42″	18° 53′ 7·2″
'D'	72° 11′ 5·7″	18° 50′ 40″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

A. Crude Oil

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing Head Condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri _____ do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

_____

(Signature)

By order in the name of the President of India.

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi-1, the 16th August 1985

No. 14/11/83-CTE.—It is notified for general information that Dr. Akhtar Hussain, Director, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow has been appointed as Chairman, Coordination Council for Biological Sciences Group with effect from 1-9-1985 to 31-8-1987 in place of Prof. B. K. Bachhawat, Director, Indian Institute of Chemical Biology, Calcutta. Consequently, Dr. Akhatar Hussain will be a Member of the Governing Body and the Society of Council of Scientific & Industrial Research for the said duration and the name and designation of Prof. B. K. Bachhawat appearing at S. No. 8 under para 2 of Notification No. 1/7/84-CTE dated 20 May, 1985 published in Part I, Section I of the Gazette of India be and is hereby replaced with that of Dr. Akhtar Hussain, Director, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow.

S. VARADARAJAN, Secy.
Department of Scientific and Industrial Research and Director General, Scientific & Industrial Research.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985